बिहार सरकार

# कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना – 800023

Email id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.- 9470003586 Website - http://lnjporthohospital.org

## आदेश

1. मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज की ओर से समर्पित आवेदन पत्र दिनांक 24.08.2024, जो निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना को सम्बोधित कर समर्पित किया गया है, का अवलोकन किया।

2. इस आवेदन पत्र में वर्णित माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष विचाराधीन समादेश याचिका संख्या–7502/2024 मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 एवं आदेश दिनांक 26.07.2024 का अवलोकन किया।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.05.2024 को समादेश याचिका संख्या–7502/2024 मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश की कंडिका–4 में निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :–

".....17.05.2024 –

**XXX ..................XXX ...................... XXX**

**2. Learned counsel appearing on behalf of the petitioner has stated that the petitioner was given the contract for supply manpower in the Respondent No. 3 Loknayak Jai Prakash Hospital vide Memo No. 390 dated 06.03.2023 initially for a period of one year and, thereafter, the same was extended vide Annexure No. P/9 dated 02.03.2024 for a further period of three more years. However, the authorities abruptly without putting the petitioner on notice have issued the impugned order bearing No. 814 dated 10.04.2024 seeking to cancel the same and hand over the same to other agencies.**

**3. Learned counsel has stated in case the interim orders are not passed by this Court, the petitioner will be put to great and irreparable loss.**

**4. Having regard to the facts and circumstances there shall be interim stay of the impugned order till the next date of hearing. ...."**

4. कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपरोक्त याचिका के अंतर्गत आक्षेपित आदेश, जिसे उपरोक्त समादेश याचिका संख्या–7502/2024 मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के माध्यम से चुनौती दी गई है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक डॉ0 एन0एन0 राय द्वारा निर्गत पत्रांक–814 दिनांक 10.04.2024 है, जिसके माध्यम से उन्होंने याचिकाकर्त्ता मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज के साथ संस्थान द्वारा की गई निविदा को रद्द कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अपने उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 17.05.2024 की कंडिका–4 के माध्यम से उक्त आदेश पर अगली सुनवाई की तिथि तक अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया था।

5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.05.2024 की कंडिका–4 के माध्यम से पारित अंतरिम स्थगन आदेश को अपने अगले आदेश दिनांक 26.07.2024 की कंडिका–6 के माध्यम से



24/8/24

Sandhya 24.9.24

Scanned with OKEN Scanner

सुनवाई की अगली तिथि तक विस्तारित करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश का कार्यकारी अंश (कंडिका–6) निम्नवत् है :–

> **".....6. In the meanwhile, the interim order dated 17.05.2024 shall stand extended till the next date of hearing. ...."**

6. उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक सं0सं0–10/ विविध–16–05/2021–279(10) दिनांक 27.05.2024, शुद्धि–पत्र सं0सं0–10/ विविध–16–05/ 2021–280(10) दिनांक 27.05.2024, संचिका संख्या–10/ विविध–16–05/2021–373(10) दिनांक 23.07.2024 तत्पश्चात् पत्रांक–762(12) दिनांक 05.08.2024 के माध्यम से निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना को उपरोक्त न्यायादेशों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

7. कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि डॉ0 एन0एन0 राय, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त आदेशों के आलोक में अपने पत्रांक–814 दिनांक 10.04.2024 को स्थगित करने संबंधी कोई औपचारिक आदेश निर्गत नहीं किया गया था।

8. अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या–7502/2024 मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 एवं इसी समादेश याचिका में पुनः पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के आलोक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक डॉ0 एन0एन0 राय द्वारा निर्गत पत्रांक–814 दिनांक 10.04.2024 को स्थगित किया जाता है, ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः तथा आदेश की भावना के अनुरूप (In letter and in spirit) अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

9. मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज एवं इंटेलिजेन्स सिक्युरिटी ऑफ इंडिया, 30, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना–13 (मो0–9431012114) को आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या–7502/2024 मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 एवं इसी समादेश याचिका में पुनः पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक डॉ0 एन0एन0 राय द्वारा निर्गत पत्रांक–814 दिनांक 10.04.2024 को स्थगित किये जाने के आदेश का अक्षरशः एवं आदेश की भावना के अनुरूप समग्र एवं पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

10. यदि मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज अथवा इंटेलिजेन्स सिक्युरिटी ऑफ इंडिया, 30, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना–13 (मो0–9431012114) को इस संबंध में कोई आपत्ति हो, तब उसे लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें और उस आपत्ति का आधार स्पष्ट करें, ताकि नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

11. यह आदेश समादेश याचिका संख्या–7502/2024 मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समय–समय पर पारित किये जाने वाले आदेशों के फलाफल से प्रभावित होगा।

12. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के सभी चिकित्सक, सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी एवं अन्य संबंधित भी दृढ़तापूर्वक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।



Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार

# कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना – 800023

Email id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.- 9470003586 Website - http://lnjporthohospital.org

इसका अनुपालन नहीं करना माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की अवहेलना मानते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

13. इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाए तथा संस्थान की वेबसाईट एवं संस्थान के सूचना–पट्ट पर भी प्रकाशित की जाए।

Bandra 24.8.24

निदेशक,
लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना

ज्ञापांक–......................................../पटना, दिनांक ........../........./2024

प्रतिलिपि :–

(1) प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) श्री आनन्द प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना को उनके पत्रांक–762(12) दिनांक 05.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) मो0 मोजीबुर रहमान, सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना के सभी चिकित्सक /सभी पदाधिकारी/सभी कर्मचारी/अन्य संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(6) मे0 सरस्वती इंटरप्राइजेज, हॉस्पिटल रोड, सिविल लाईन, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(7) इंटेलिजेन्स सिक्युरिटी ऑफ इंडिया, 30, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना–13 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(8) स्थापना लिपिक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना के सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(9) आई0टी0 मैनेजर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Bandra 24.8.24

निदेशक,
लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना



24/8/24

Scanned with OKEN Scanner